भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5134

24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों के किसानों को सहायता

5134. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेलंगाना के मंचिर्याल और जगतियाल जिलों के बड़े क्षेत्र शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और कम वर्षा, जलवायु परिवर्तनशीलता और बार-बार सूखे की स्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं;

(ख) क्या सरकार ने मंचिर्याल और जगतियाल के शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में फसल उत्पादकता, किसानों की विपदा और जलवायु संवेदनशीलता का कोई जिला-विशिष्ट आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार का इन जिलों में शुष्क भूमि वाले किसानों के लिए सूखा-रोधी फसलों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य सुधार उपाय और कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करना सहित विशेष सहायता कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है; और

(घ) मंचिर्याल और जगतियाल जिलों के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए जिला स्तरीय जोखिम एवं संवेदनशीलता आकलन के अनुसार, मंचिर्याल का मूल जिला अर्थात् आदिलाबाद को उच्च संवेदनशीलता और उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है, जबकि जगतियाल का मूल जिला अर्थात् करीमनगर को मध्यम संवेदनशीलता और मध्यम जोखिम श्रेणी में रखा गया है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फसल उत्पादकता, वर्षा और सॉइल हेल्थ का नियमित आकलन जिला एवं मंडल स्तर पर फसलोपरांत प्रयोगों (सीसीई), क्षेत्र निगरानी और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से किया जाता है। चिह्नित वर्षा सिंचित मंडलों की निरंतर निगरानी की जाती है और आवश्यक परामर्श एवं हस्तक्षेप प्रदान किए जाते हैं।

(ग) एवं (घ): इन जिलों में शुष्क भूमि के किसानों को सहायता प्रदान करने और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए विशेष सहायता उपाय क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत मक्का और दलहन के बीजों का वितरण, प्रति बूंद अधिक फसल योजनाओं के माध्यम से ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कृषि तालाबों और चेक डैम की स्थापना, मिशन काकतीय के अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार और कृषि मशीनीकरण उप-मिशन के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्रों के साथ कृषि मशीनीकरण सहायता शामिल हैं। राज्यों को उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता के लिए सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना भी क्रियान्वित की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) ने तेलंगाना राज्य के मंर्चियाल जिले में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) कार्यक्रम के अंतर्गत सुधार उपाय किए हैं। वर्ष 2021-26 के दौरान, मंर्चियाल जिले के कोटापल्ली मंडल में प्रमुख वर्षा सिंचित फसलों की उन्नत और स्थान-विशिष्ट किस्मों को प्रस्तुत किया गया ताकि फसल पद्धतियों की उत्पादकता और अनुकूलन बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही, सॉइल हेल्थ प्रबंधन, सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को बढ़ावा देने और 27 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी उपाय किए गए। जगतियाल जिले के कुछ हिस्से वर्षा सिंचित कृषि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जिला मुख्यतः सिंचित है। लगभग 2,67,430 एकड़ भूमि सिंचित है और लगभग 19,956 एकड़ भूमि वर्षा सिंचित कृषि के अंतर्गत है, जो बुग्गाराम, धर्मपुरी, एंडापल्ली, गोल्लापल्ले, पेगाडापल्ले, वेल्गाटूर, बीरपुर, जगतियाल ग्रामीण, कोडिमियाल और रायकल जैसे कुछ मंडलों तक सीमित है। हालांकि, ये क्षेत्र वर्षा की अनियमितता और सूखे की चपेट में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, आजीविका सहायता उपायों में रायथु भरोसा/रायथु बंधु योजना के अंतर्गत निवेश सहायता, फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा, सिंचाई इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और मौसम आधारित परामर्श के साथ निरंतर विस्तार सहायता के साथ-साथ किसानों के लिए क्षमता निर्माण और आजीविका विविधीकरण गतिविधियां शामिल हैं।
